निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (**श्री सिकन्दर बख्त**): (क) राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में इस प्रकार के विस्थापित व्यक्ति परिवारों की संख्या 8994 है। इन में से 8628 परिवार सरकार द्वारा स्थापित राहत शिविरों में रह रहे है।

(ख) और (ग) जैसे ही पाकिस्तान में स्थिति में सुधार हो जाएगा ये विस्थापित व्यक्ति सुरक्षा तथा सम्मान सहित पाकिस्तान लौटने के हकदार है। इसलिए उनके स्थायी पुनर्वास के लिए योजनाए तैयार नहीं की गई हैं। इनमें से किसी को भी राजस्थान नहर के कमांड क्षेत्र में आने वाली भूमि आवंटित नहीं की गई है। फिर भी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाए विच राधीन है ताकि वे अनिश्चित काल तक शिविरों में न रहते रहें।

इस बीच इन्हें शिविरों में राहत सहायता दी जा रही है। जो शिविरों से बाहर रह रहे है यदि वे शिविरों में प्रवेश ले लें तो वे भी राहत सहायता प्राप्त कर सकते है।

इन विस्थापित व्यक्तियों को शिविरों में राहत सहायता देने के लिए राजस्थान सरकार को अब तक 8 91 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

objectives of allotment of houses by DDA

5. SHRI R. KOLANTHAIVELU: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the basic objectives of allotment of houses by D.D.A.;

(b) whether the policy for. allotment is heavily weighted in favour of those with good financial resources who are able to pay the whole or a major portion of the cost as cash down; and

(c) if so, whether the policy conforms in letter and spirit to the basic objectives?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) To relieve the shortage of housing in Delhi for middle income, low income, janata and community service personnel by constructing houses at reasonable prices.

(b) DDA has been offering flats both on cash down and hire purchase basis since 1966-67. In 1976, however, in order to increase the pave of construction and generate resources, preference was given to persons who paid in cash the entire amount, 75 per cent of the amount, 50 per cent of the amount and so on in that order and the balance in instalments.

(c) No. The policy is under review.

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों के लिए नागरिक सुविधाएं

6. **श्री शिवनारायण सरसूनिया** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ क्षेत्र दिल्ली में उन बस्तियों के नाम क्या हैं, जिन्हें अनधिकृत कहा जाता है और उन्हें नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या नई आवास नीति के अनुसार जिन अनधिकृत बस्तियों को नियमित किया जाना है, उनमें नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को आदेश जारी कर दिये गये हैं; और

(ग) नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए स्थानीय संस्थाओं ने क्या कार्यवाही की है और उन बस्तियों के नाम क्या